राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गणपत बनाम जोधाशाहपीर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	37/2009	
11/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो।	
16/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 852 ल. 856, 878 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा ग्राम खोरी वादी की खातेदार एवं कब्जे काश्त की आराजी है, जिसके प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्ट खिदमतगार रहे है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान में खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.39 हेक्टर है, की एक ट्रांसफर डीड प्रतिवादी स. 2 व 3 / अपीलान्ट ने दिनांक 3.4. 1981 को पंजीयन करा ली, जबकि वास्तव में कोई राशि का भुगतान नहीं किया, न ही कब्जा दिया गया, जिसे प्रतिवादी अन्य से मिलकर हड़पना चाहता है। अतः हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.39 हेक्टर में वादी / रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर वादीगण द्वारा समर्पित करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का निस्तारण प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31/01/2003 पारित करते हुये प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण का काउंटर क्लेम खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 60/2003 प्रस्तुत की गयी। जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 03/01/2007 पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व् डिक्री दिनांक 31/01/2003 निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुये पुन: गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुन: दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी के अधिवक्ता उपस्थित नही आने पर वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के उपस्थित आने पर उनकी बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2009 पारित करते हुये प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम ख़ारिज फरमा	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**गणपत बनाम जोधाशाहपीर** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिया गया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2009 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस समायत की गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 03/01/2007 पारित कर निर्देश प्रदान करते निर्देशानुसार तनकी कायम कर तनकीवार विवेचन किये बगैर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो उचित प्रतीत नही होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2009 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 03/01/2007 के निर्देशों की अनदेखी कर पारित किया जाना स्पष्ट होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 03/01/2007 में प्रदान किये गये निर्देशों की अनुपालना करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर